भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार
आपराधिक अपील संख्या - 139/2022
उच्च न्यायालय मुम्बई के औरंगाबाद पीठ के द्वारा आपराधिक रिट
आवेदन संख्या- 224/2021 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.08.201 के विरुद्ध

दीपक पुत्र लक्ष्मण डोंगरे ... अपीलकर्ता
बनाम्
महाराष्ट्र राज्य और अन्य ... ... उत्तरवादी

अपीलकर्ता की ओर से संदीप सुधाकर देशमुख

उत्तरवादी की ओर से सचिन पाटील, राहुल चिटनीस,
आदित्य ए. पाण्डेय, जिओ जोसेफ, सुश्री श्वेताल शेपाल

अभय एस. ओका, न्यायाधीश के द्वारा पारित किया गया ।

अनुमति दी गई ।

1. उत्तरवादी संख्या 2 ने अपने आदेश दिनांक 15 दिसंबर 2020 द्वारा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 (संक्षेप में "1951 अधिनियम") की धारा 56(1)(ए)(बी) के तहत शक्तियों का प्रयोग किया। उक्त आदेश द्वारा, अपीलकर्ता, जो मंडियोलगांव, तालुका बदनापुर, जिला जालना का निवासी है, को 5 दिनों के भीतर खुद को जिला जालना की सीमा से बाहर हटाने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश के अनुसार, उन्हें जिला जालना से खुद को हटाने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए जिला जालना से निष्कासित कर दिया गया था। निर्वासन के मामले में, उत्तरवादी संख्या 2 ने अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज 5 अपराधों पर भरोसा किया, जिनका विवरण इस प्रकार है: -

क्र.सं.	पुलिस स्टेशन	अपराध रजिस्टर नं.	धारा	स्थिति
1.	तालुका जालना	367/2013	452/324/504/34 भा0 द 0 वि0	दोषमुक्त
2.	कदीम जालना	247/2018	354/354 ए/323/504 /506/509/34 भा0 द 0 वि0	न्यायालय में लंबित
3.	चंदनजीरा	378/2018	307/325/323/341/ 201/120(8)/405/ 506/507/37 भा0 द 0 वि0	न्यायालय में लंबित
4.	बदनापुर	15/2020	354/354(ए)/354(डी)/509 506 भा0 द 0 वि0	न्यायालय में लंबित
5.	बदनापुर	215/2020	509/501/506 भा0 द 0 वि0 सपठित 67/67(ए) आई 0 टी0	अनुसंधान अन्तर्गत

			एक्ट	

इसके अलावा, उत्तरवादी संख्या 2 ने गवाहों 'ए' और 'बी' के बंद कमरे में दिए गए गोपनीय बयानों पर भरोसा किया। अपीलकर्ता द्वारा 15 दिसंबर 2020 के निर्वासन के आक्षेपित आदेश के खिलाफ एक वैधानिक अपील दायर की गई थी। अपील को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर करके निर्वासन के आदेश पर सवाल उठाया । बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने 20 अगस्त 2021 के आक्षेपित फैसले और आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया। निर्वासन का आक्षेपित आदेश इस आधार पर पारित किया गया था कि गवाहों 'ए' और 'बी' के गोपनीय बयानों से पता चलता है कि गवाह अपीलकर्ता के खिलाफ सबूत देने के लिए आगे आने को तैयार नहीं हैं, अपीलकर्ता की गतिविधियां बहुत खतरनाक हैं और अपराध हैं अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में " आईपीसी ") के तहत दर्ज मामले गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं जो बड़े पैमाने पर जनता के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा आगे पाया गया कि दो गवाहों के गोपनीय बयान दर्शाते हैं कि अपीलकर्ता अवैध गतिविधियों में लिप्त है जो बड़े पैमाने पर जनता के लिए संकट सूचना, खतरा या नुकसान पहुंचा रहा है।

2. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री संदीप सुधाकर देशमुख ने हमें निर्वासन के आक्षेपित आदेश के साथ–साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश के बारे में बताया। उनका कहना है कि पारिवारिक विवादों को निपटाने के उद्देश्य से विधान सभा के स्थानीय सदस्य (एमएलए) श्री नारायण कुचे के कहने पर निर्वासन का आदेश पारित करने का कृत्य एक दुर्भावनापूर्ण कृत्य था। विद्वान वकील ने बताया कि उक्त विधायक अपीलकर्ता का मामा है। विद्वान वकील ने बताया कि उक्त विधायक ने जालना जिले के बदनापुर पुलिस स्टेशन में वर्षा बनकर नामक व्यक्ति द्वारा उनके कहने पर दायर झूठे मामले (2020 का अपराध संख्या 15) में अपीलकर्ता को फंसाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि वर्षा बनकर ने अपने पुलिस बयान में स्वीकार किया कि उक्त विधायक के भाई ने उसे अपीलकर्ता को फोन करने और संदेश और तस्वीरें भेजने की सलाह दी थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता की शिकायत के आधार पर उक्त विधायक, उनके भाई और उक्त वर्षा बनकर के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा 7 जुलाई 2020 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अपीलकर्ता ने उनसे कारण बताने को कहा कि 1951 अधिनियम की धारा 56 के तहत निष्कासन का आदेश क्यों पारित नहीं किया जाना चाहिए। विद्वान वकील ने बताया कि गवाहों 'ए' और 'बी' के बंद कमरे में दिए गए बयान सामान्य प्रकृति के हैं जो

अपीलकर्ता के खिलाफ किसी विशिष्ट आरोप का उल्लेख नहीं करते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निर्वासन के आदेश में जिन 5 अपराधों पर भरोसा किया गया है, उनमें से एक 2013 का है और दो 2018 के हैं। चौथा अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354D, 509 और 506 के तहत 2020 का है । पांचवां अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67 (ए) के साथ पठित धारा 509, 501, 506 के तहत है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पहले तीन अपराध पुराने अपराध हैं और उक्त तीनों अपराधों का निर्वासन के आक्षेपित आदेश को पारित करने का उद्देश्य के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्ष 2020 में पंजीकृत शेष दो अपराध, 1951 अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) के खंड (ए) या (बी) को लागू नहीं करेंगे। इसलिए, उनका मानना है कि निर्वासन का विवादित आदेश निष्प्रभावी है। उन्होंने आग्रह किया कि उक्त विधायक के इशारे पर सत्ता का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्हीं अपराधों के आधार पर अपीलकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में सीआरपीसी) की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया था।" 2 जून 2020 को, 15 दिनों की अवधि के लिए सीआरपीसी की धारा 151 की उप–धारा (3) के तहत अपीलकर्ता को हिरासत में लेने के लिए पुलिस द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा खारिज कर दिया गया था और अपीलकर्ता को रिहा कर दिया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उसे आरोपों के उसी आधार पर, अपीलकर्ता के खिलाफ निष्कासन का आदेश पारित किया गया है। वैकल्पिक रुप से, उन्होंने प्रस्तुत किया कि 1951 अधिनियम की धारा 58 के तहत, किसी व्यक्ति को अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए निर्वासित किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निष्कासन के आक्षेपित आदेश में, अपीलकर्ता को अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए निर्वासित करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

3. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सचिन पाटिल ने आग्रह किया कि निर्वासन का आदेश पारित करते समय, सक्षम प्राधिकारी को तर्कसंगत आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। सक्षम प्राधिकारी ने 1951 अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) के खंड (ए) और (बी) में प्रदान किए गए आधारों के अस्तित्व की व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 151 की उपधारा (3) के तहत शक्तियों का दायरा 1951 अधिनियम की धारा 56 के तहत शक्तियों के दायरे से अलग है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने निर्वासन के आक्षेपित आदेश को चुनौती के आधारों की विस्तार से जांच की है और प्रत्येक आधार को खारिज कर दिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निष्कासन के आक्षेपित आदेश और उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

4. हमने उक्त निवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के खण्ड (डी) के तहत, नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का मौलिक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के खंड (5) के मद्देनजर, राज्य को खंड (डी) द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाने का अधिकार है। 1951 अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों के तहत पारित निर्वासन का आदेश उस व्यक्ति पर किसी विशेष क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंध लगाता है जिसके खिलाफ आदेश दिया गया है, इस प्रकार, ऐसे आदेश अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हैं । इसलिए, निर्वासन का आदेश पारित करके लगाया गया प्रतिबंध तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।

5. 1951 अधिनियम की धारा 56 इस प्रकार है:

"56. अपराध करने वाले व्यक्तियों को हटाना–

[(1)] जब भी यह ग्रेटर बॉम्बे और अन्य क्षेत्रों में दिखाई देगा, जिसके लिए आयुक्त को धारा 7 के तहत एक आयुक्त नियुक्त किया गया है और अन्य क्षेत्र या क्षेत्रों में, जहां राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इसका विस्तार कर सकती है। इस धारा के प्रावधान, जिला मजिस्ट्रेट, या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त उप–विभागीय मजिस्ट्रेट को इस संबंध में (ए) कि किसी भी व्यक्ति के आंदोलनों या कृत्यों से व्यक्ति या संपति को संकट, खतरा या नुकसान हो रहा है या होने की संभावना है या (बी) यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसा व्यक्ति बल या हिंसा से जुड़े अपराध या भारतीय दंड संहिता के अध्याय XII, XVI या XVII के तहत दंडनीय अपराध में लगा हुआ है या शामिल होने वाला है । या ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण में और जब ऐसे अधिकारी की राय में गवाह अपने व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में आशंका के कारण ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक रूप से साक्ष्य देने के लिए आगे आने को तैयार नहीं हैं, या [(बीबी) यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसा व्यक्ति महाराष्ट्र सांप्रदायिक, असामाजिक और अन्य खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1980 में परिभाषित सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य कर रहा है या कार्य करने वाला है। या (2) किसी भी तरीके से समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं के रखरखाव या आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जैसा कि कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु आपूर्ति अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, या (सी) यदि किसी आप्रवासी के निरंतर निवास के कारण महामारी रोग फैलने की संभावना है, तो उक्त अधिकारी उसे लिखित आदेश देकर या ढोल बजाकर या अन्यथा जैसा वह उचित समझे, ऐसा निर्देश दे सकता है। व्यक्ति या आप्रवासी को हिंसा और अलार्म [या ऐसे पूर्वाग्रही कार्य], या ऐसी बीमारी के फैलने या फैलने को रोकने के लिए या [इस

अधिनियम या किसी अन्य कानून में कुछ समय के लिए निहित किसी भी बात के बावजूद, ऐसा व्यवहार करना आवश्यक लगेगा। महाराष्ट्र राज्य में ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों से बाहर खुद को हटाने के लिए मजबूर करें (चाहे अधिकारी के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर हो या नहीं और चाहे सन्निहित हो या नहीं), ऐसे मार्ग से, और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि अधिकारी निर्दिष्ट कर सकता है और निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेगा या वापस नहीं आएगा (बाद में इसे "निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) जहां से उसे खुद को हटाने के लिए निर्देशित किया गया था।

[(2) उप–धारा (1) के तहत किसी भी व्यक्ति को राज्य में किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों से खुद को हटाने का निर्देश देने वाला कोई अधिकारी ऐसे व्यक्ति को यह भी निर्देश दे सकता है कि उस अवधि के दौरान जब भी उसके खिलाफ आदेश लागू हो और राज्य के किसी अन्य क्षेत्र में रहता है, तो उसे अपने निवास स्थान की रिपोर्ट हर महीने में एक बार निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को देनी होगी, भले ही उसके पते में कोई बदलाव न हुआ हो। उक्त अधिकारी यह भी निर्देश दे सकता है कि, उक्त अवधि के दौरान, जब भी वह राज्य से बाहर जाए, तो वह राज्य से अपने प्रस्थान की तारीख से दस दिनों के भीतर उक्त अधिकारी को लिखित रूप में एक रिपोर्ट भेजेगा। पोस्ट या अन्यथा, उसके प्रस्थान की तारीख, और जब भी वह राज्य में वापस आता है, तो वह राज्य में अपने आगमन की तारीख से दस दिनों के भीतर, अपने आगमन की तारीख की सूचना उसके निकटतम पुलिस स्टेशन का प्रभारी को देगा– जिस स्थान पर वह रहेगा ।

(अंडरलाइन दी गई है)

धारा 56 की उप–धारा (1) के अवलोकन से पता चलता है कि निष्कासन का आदेश पारित करने के लिए धारा 56 की उप–धारा (1) के तहत अलग–अलग आधार निर्दिष्ट हैं। उक्त आधार खंड (ए), (बी), (बीबी), और (सी) में हैं। वर्तमान मामले में, 1951 अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) के खंड (ए) और (बी) को लागू किया गया है। खंड (ए) में आधार यह है कि किसी भी व्यक्ति की गतिविधियां या कृत्य किसी व्यक्ति या संपत्ति को संकट, खतरे या नुकसान का कारण बन रहे हैं या पैदा करने की योजना बना रहे हैं। खंड (बी) में आधार यह है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसा व्यक्ति बल प्रयोग या हिंसा से जुड़े अपराध या आईपीसी में अध्याय XII, XVI या XVII के तहत दंडनीय अपराध में शामिल है या शामिल होने वाला है या ऐसे किसी अपराध के लिए उकसाने का कार्य करने वाला है। खंड (बी) इस शर्त पर लागू है कि ऐसा आदेश पारित करने के लिए सशक्त सक्षम प्राधिकारी की राय होनी चाहिए कि उनके या संपति की सुरक्षा के संबंध में आशंकाओं के

कारण गवाह ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक रूप से साक्ष्य देने के लिए आगे आने को तैयार नहीं हैं। निश्चित रुप से यह राय अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर बनाई जानी चाहिए।

6. जैसा कि पहले देखा गया है, धारा 56, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत गारंटीकृत नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर अतिक्रमण करती है । पंढरीनाथ श्रीधर रंगनेकर बनाम पुलिस उपायुक्त, महाराष्ट्र के पैराग्राफ 9 में, इस न्यायालय ने माना है कि जिन कारणों से निर्वासन के असाधारण आदेश को पारित करना आवश्यक या उचित है, वे असाधारण परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। उसी निर्णय में, इस न्यायालय ने माना कि यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि 1951 अधिनियम की धारा 59 के तहत सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता का सख्ती से अनुपालन किया जाए। इस न्यायालय ने यह भी माना कि धारा 56 की आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

7. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि निष्कासन का आदेश एक असाधारण उपाय है। निर्वासन के आदेश का प्रभाव एक नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र आवाजाही के उसके मौलिक अधिकार से वंचित करना है। व्यावहारिक रूप से, ऐसा आदेश व्यक्ति को जब तक यह आदेश लागू रहता है, उस अवधि के दौरान अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर में रहने से भी रोकता है । दिए गए इस मामले में, ऐसा आदेश व्यक्ति को उसकी आजीविका से वंचित कर सकता है। इस प्रकार इसका तात्पर्य यह है कि धारा 56 का सहारा बहुत संयम से यह ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए, कि यह एक असाधारण उपाय है। धारा 56 की उप–धारा (1) के खंड (ए) को लागू करने के लिए, रिकॉर्ड पर वस्तुनिष्ठ सामग्री होनी चाहिए जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी को अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों या कृत्यों के कारण व्यक्तियों या संपत्ति को संकट, खतरा या नुकसान हो रहा है या इसकी इच्छा रखता है। खण्ड (बी), के अंतर्गत आदेश पारित करने हेतु वस्तुनिष्ठ सामग्री होनी चाहिए जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसा व्यक्ति बल प्रयोग या हिंसा या आईपीसी के अध्याय XII, XVI या XVII के तहत दंडनीय अपराध से जुड़े अपराध में लगा हुआ है या शामिल होने वाला है। अध्याय XII के अंतर्गत अपराध सिक्के और सरकारी टिकटों से संबंधित हैं। अध्याय XVI के तहत अपराध मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध हैं और अध्याय XVII के तहत अपराध संपत्ति से संबंधित अपराध हैं। दिए गए इस मामले में, भले ही एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 56 की उप–धारा (1) के खंड (बी) में संदर्भित कई अपराध दर्ज किए गए हों, लेकिन यह धारा 56 की

उपधारा (1) की खंड (बी) के तहत निर्वासन का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, जब खंड (बी) को लागू करने की मांग की जाती है, तो रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि गवाह, उनकी सुरक्षा या उनकी संपत्ति के संबंध में आशंका के कारण प्रस्तावित व्यक्ति के खिलाफ सबूत देने के लिए आगे आने को तैयार नहीं हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी व्यक्तिपरक संतुष्टि की रिकॉर्डिंग खंड (बी) के तहत निर्वासन का वैध आदेश पारित करने के लिए अनिवार्य है।

8. 2 जून 2019 को, बदनापुर पुलिस स्टेशन, जिला जालना के पुलिस निरीक्षक ने उप–धारा (3) सीआरपीसी की धारा 151 (जैसा कि 1981 के महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 7 द्वारा डाला गया है) के प्रावधानों को लागू करके अपीलकर्ता को 15 दिनों की अवधि के लिए हिरासत में लेने की अनुमति देने के लिए बदनापुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उक्त प्रस्ताव में, अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज उन्हीं छह अपराधों पर भरोसा किया गया था, जिन्हें 7 जुलाई 2020 के कारण बताओ नोटिस का हिस्सा बनाया गया था, जिसके आधार पर निर्वासन का आदेश पारित किया गया था। पुलिस ने अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया और उसे उपरोक्त प्रस्ताव के साथ 2 जून 2020 को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया। 2 जून 2020 के आदेश (अनुलग्नक पी–4) द्वारा, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता को हिरासत में लेने के उक्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया और 9 जून, 2020 तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच संबंधित पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने की शर्त के अधीन उसकी तत्काल रिहाई का निर्देश दिया।

9. महाराष्ट्र राज्य के लिए संशोधित धारा 151 की उप–धारा (3) के तहत शक्ति किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करने की है कि वह अपराध करने की योजना जारी रख सकता है, या संज्ञेय अपराध करने की संभावना है उसकी रिहाई के बाद अपराध और मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसकी उपस्थिति सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल होने की संभावना है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता को 15 दिनों तक हिरासत में रखने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि उक्त आदेश को पुलिस द्वारा चुनौती दी गई थी। अपीलकर्ता को 15 दिनों तक हिरासत में रखने की आवश्यकता के बारे में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करने में विफल रहने के बाद, अनुमण्डल पुलिस अधिकारी ने 7 जुलाई 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी करके उसके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई शुरू की। यह मामला नहीं है 7 जुलाई 2020 को कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि 2 जून 2020 को अपीलकर्ता की रिहाई के बाद, अपीलकर्ता किसी भी अपराध या किसी अन्य आपत्तिजनक गतिविधि में शामिल रहा है।

10. धारा 56 के तहत शक्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए , सक्षम प्राधिकारी से विस्तृत कारणों वाला निर्णय लिखने की अपेक्षा नहीं की जाती है। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी को अपने सामने रखी गई वस्तुनिष्ठ सामग्री के आधार पर धारा 56 की उपधारा (1) में किसी एक आधार के अस्तित्व की अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि को दर्ज करना होगा। यद्यपि सक्षम प्राधिकारी को न्यायिक आदेश के समान कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब चुनौती दी जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी को यह दिखाने की स्थिति में होना चाहिए कि अभिप्राय का उपयोग किया गया है । न्यायालय निर्वासन के आदेश का परीक्षण करते समय उस सामग्री की पर्याप्तता के प्रश्न पर नहीं जा सकता जिसके आधार पर व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज की गई है। हालाँकि, न्यायालय हमेशा इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या ऐसी कोई सामग्री मौजूद थी जिसके आधार पर व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज की जा सकती थी। न्यायालय तब हस्तक्षेप कर सकता है जब या तो कोई सामग्री न हो या संबंधित सामग्री पर विचार न किया गया हो। न्यायालय सिर्फ इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाने की संभावना है। किसी भी अन्य प्रशासनिक आदेश की तरह, दुर्भावना, अनुचितता या मनमानी के आधार पर ही न्यायिक समीक्षा की अनुमति है।

11. मामले के तथ्यों में, अभिप्राय का उपयोग नहीं करना अभिलेख पर स्पष्ट है क्योंकि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के 2 जून, 2020 के आदेश पर निर्वासन के आक्षेपित आदेश में भी विचार नहीं किया गया है, हालांकि अपीलकर्ता ने अपने जवाब में इसपर विशेष रूप से भरोसा किया था । यह बहुत प्रासंगिक है क्योंकि अपीलकर्ता को उन्हीं अपराधों के आधार पर 15 दिनों की अवधि के लिए सीआरपीसी की धारा 151 की उप–धारा (3) के तहत हिरासत में लेने की मांग की गई थी, जिन पर निर्वासन के आदेश पर भरोसा किया गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 2 जून 2020 से निर्वासन के आक्षेपित आदेश के पारित होने तक, अपीलकर्ता को किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि में शामिल होना नहीं दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आक्षेपित आदेश लापरवाहीपूर्ण तरीके से पारित किया गया है। जिन पहले तीन अपराधों पर भरोसा किया गया है वे 2013 और 2018 के हैं जो इस अर्थ में पुराने अपराध हैं कि उक्त अपराधों और वर्ष 2020 में निर्वासन का आदेश पारित करने की आवश्यकता के बीच कोई जीवंत संबंध नहीं है। 2020 के दो अपराधों में जो अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप लगाया गया है वह दो व्यक्तियों के विरुद्ध हैं। पहली उक्त विधायक की बेटी है और दूसरी उक्त वर्षा बनकर है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री है कि उक्त वर्षा बनकर उक्त विधायक के भाई के निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही थी। उक्त दोनों अपराध व्यक्तियों के व्यक्तिगत संबंध में हैं। यह दिखाने

के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि गवाह इन दोनों मामलों में गवाही देने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। इसलिए, धारा 56 की उपधारा (1) के दोनों खंड (ए) और (बी) लागू नहीं होते हैं।

12. चूंकि आक्षेपित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) (डी) के तहत मौलिक अधिकार को समाप्त करता है, इसलिए इसे अनुच्छेद 19 के खंड (5) द्वारा सोची गई तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए । रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उक्त आदेश, विवेक का प्रयोग न करने तथा मनमानी की बू को दर्शाता है। इसलिए, यह असुरक्षित हो जाता है। आदेश को कानून के तहत कायम नहीं रखा जा सकता.

13. 1951 अधिनियम की धारा 58 इस प्रकार है:

"**58**. धारा 55 , 56 , 57 और 57 ए के तहत आदेशों के संचालन की अवधि – धारा 55 , 56 , 57 और 57 ए के तहत दिया गया निर्देश किसी विशेष क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र और किसी भी जिले या जिलों, या उसके किसी भी हिस्से में प्रवेश न करने के लिए, या जैसा भी मामला हो, कोई निर्दिष्ट क्षेत्र या इलाके, ऐसी अवधि के लिए होंगे जो उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है और किसी भी मामले में उस तारीख से दो साल की अवधि से अधिक नहीं होगी जिस दिन व्यक्ति खुद को हटा देता है या क्षेत्र, जिले या निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों से, हटा दिया जाता है, जैसा भी मामला हो"।
धारा 58 को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि धारा 56 के तहत आदेश पारित करते समय , सक्षम प्राधिकारी को उस क्षेत्र या जिले या जिलों का उल्लेख करना चाहिए जिसके संबंध में आदेश दिया गया है। इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी को वह अवधि निर्दिष्ट करना आवश्यक है जिसके लिए प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके लिए अधिकतम अवधि दो वर्ष प्रदान की गई है। इसलिए, धारा 56 के तहत प्रतिबंध आदेश की अवधि तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की ओर से अभिप्राय का उपयोग करने की आवश्यकता है । रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर, प्राधिकारी को अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज करनी होगी कि प्रतिबंध एक विशिष्ट अवधि के लिए लगाया जाना चाहिए। जब सक्षम प्राधिकारी दो साल की अधिकतम स्वीकार्य अवधि के लिए कोई आदेश पारित करता है, तो निर्वासन के आदेश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिप्राय का उपयोग का वर्णन होना चाहिए और आदेश में अधिकतम दो वर्षों के लिए निर्वासन का आदेश पारित करने की आवश्यकता के बारे में उसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। 15 दिसंबर, 2020 के निर्वासन के आक्षेपित आदेश को सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि यह इस पहलू पर अभिप्राय के किसी भी प्रयोग का खुलासा नहीं करता है। यह रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर उत्तरवादी

संख्या 2 की व्यक्तिपरक संतुष्टि को दर्ज नहीं करता है कि निर्वासन का आदेश अधिकतम दो साल की अवधि के लिए होना चाहिए। यदि दो वर्ष की अधिकतम अनुमेय अवधि के लिए निर्वासन का आदेश अधिकतम अनुमेय अवधि तक निर्वासन के आदेश को बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज किए बिना पारित किया जाता है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के खंड (डी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाने के समान होगा।

14. उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि दुर्भाग्य से, डिवीजन बेंच ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि निष्कासन का आदेश कोई सामान्य उपाय नहीं है और इसका सहारा संयमपूर्वक और असाधारण परिस्थितियों में लिया जाना चाहिए। यह संवैधानिक न्यायालय का कर्तव्य था कि वह उक्त आदेश का उन मापदंडों के भीतर परीक्षण करे जो इस न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से तय किए गए हैं।

15. तदनुसार, अपील सफल होनी चाहिए। 15 दिसंबर 2020 के निष्कासन के आक्षेपित आदेश, साथ ही उच्च न्यायालय के 20 अगस्त 2021 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को इस निर्णय के द्वारा रद्द एवं समाप्त किया जाता है।

16. उपरोक्त शर्तों में अपील स्वीकार की जाती है। सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी निपटाए जाते हैं।

अपील स्वीकृत

Kumar Pawan